ओ0पी0 सिंह
आई0पी0एस0

डीजी-परिपत्र संख्या-07/2019

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलकमार्ग, लखनऊ।

दिनांक : लखनऊः जनवरी 25 ,2019

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 228 से 276 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोले जाने का प्राविधान है। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा रिट याचिका संख्याः823(एच/सी)2009 अमर नाथ सिंह बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिये गये निर्णय दि0 11.02.2010 में उल्लिखित निर्देशों के आलोक में इस मुख्यालय के अ0शा0पत्रसं0-डीजी-आठ-140(66)2017 दिनांक 03 नवम्बर, 2017 द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसकी प्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है।

इस मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि अभी भी अनेकों प्रकरणों में हिस्ट्रीशीट या तो खोली नहीं जा रही है और यदि खोली जा रही है तो उक्त सन्दर्भित परिपत्र में अंकित निर्देशों की प्रक्रिया का पालन किये बिना सीधे सी0बी0, सी0आई0डी0 को हिस्ट्रीशीट खोलने हेतु भेजी जा रही है, यह सरासर गलत है।

अतः अपेक्षा करता हूँ कि आप भली-भाँति उक्त अ0शा0पत्रसं0-डीजी-आठ-140(66)2017 दिनांक 03 नवम्बर, 2017 का अध्ययन कर लें और उसके पश्चात ऐसे अपराधी जिनकी हिस्ट्रीशीट खोली जानी है, के सम्बन्ध में उक्त निर्देशों का अनुपालन करते हुए हिस्ट्रीशीट खोलने की कार्यवाही की जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि इन प्राविधानों का किसी भी दशा में दुरूपयोग न हो। यदि इस परिपत्र में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन होता है तो इस मुख्यालय द्वारा इसे गम्भीरता से लिया जाएगा।

उपरोक्त निदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,
25.1.19
(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(नाम से),
समस्त पुलिस अधीक्षक,रेलवे(नाम से),
उत्तर प्रदेश।
संलग्नकःयथोपरि।

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव(गृह), उ0प्र0 शासन, लखनऊ को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषितः-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून/व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. पुलिस महानिरीक्षक, सी0बी0, सी0आई0डी0, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner

(34)

सर्वोच्च प्राथमिकता/न्यायालय प्रकरण
अ0शा0पत्रसं0:डीजी–आठ–140(66)2017

सुलखान सिंह,
भा0पु0से0

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1.बी0एन0 लहरी मार्ग,लखनऊ
दिनॉक: नवम्बर 03, 2017

प्रिय महोदय,

उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 228 के अनुसार हिस्ट्रीशीट केवल उन व्यक्तियों की खोलनी चाहिए, जिनके अभ्यासिक अपराधी बन जाने की सम्भाव्यता हो या जो ऐसे अपराधियों के दुष्प्रेरक हों अथवा उनका ऐसा होना सम्भाव्य हो। हिस्ट्रीशीट जनपद के पुलिस अधीक्षक के आदेश से खोली जाती है।

2. इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा रिट याचिका संख्याः 823(एच/सी)2009, अमर नाथ सिंह बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिये गये निर्णय दि0 11.02.2010 में उल्लिखित किया गया है कि कई प्रकरणों में पुलिस द्वारा युवाओं (young people) को सुधरने का मौका दिये बिना उनकी हिस्ट्रीशीट कैजुवली खोल दी जाती है जिससे युवा पीढ़ी अपराध जगत में सम्मिलित होने के लिये बाध्य हो रही है।

3 यद्यपि young people की परिभाषा किसी भी अधिनियम में अलग से नहीं दी गयी है लेकिन

(क) The Young Persons (Harmful Publications) Act, 1956 में "Young Person" की परिभाषा निम्नवत् है–

Section 2(C) "Young Person" means a person under the age of twenty years.

(ख) The Factories Act-1948 में young person की अग्रलिखित व्याख्या निम्नवत् पायी गयी–

Section 2(d) "Young Person" means a person, who is either a child or an adolescent.

(ग) उ0प्र0 की कारागारों में अल्प वयस्क (Young Adults) बन्दियों के लिये अलग से अहाता रखा जाता है, इसमें रखे जाने की उम्र 18 वर्ष से अधिक और 21 वर्ष तक है।

(घ) विधि सम्मत् तथा सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सिद्धान्तों के आधार पर 18 वर्ष से अधिक तथा 21 वर्ष तक के भ्रमित युवाओं की उचित देखभाल, संरक्षण, उपचार, सामाजिक पुनः एकीकरण तथा अन्य सुधारात्मक उपायों के द्वारा सभ्य समाज की मुख्य धारा में वापिस लौटने की सम्भावनाएं अधिक होती है।

Scanned by CamScanner

पूर्व में Young People के लिये जो 30 वर्ष की उम्र तय की गयी थी उस पर पुर्नविचार आवश्यक है। अपराधिक रूझान के व्यक्ति प्रायः 18 वर्ष के आस–पास अपराध की दुनिया में कदम रखते हैं एवं यदि नियंत्रण न हो पाया तो 30 वर्ष की आयु तक अनेक गम्भीर अपराधों में शामिल हो चुके होते हैं।

5. उपरोक्त सम्बन्ध में पूर्व में परिपत्र संख्याःडीजी–सात–एस–9–501(लख–22)10 दिनॉकः 11.03.2010, परिपत्र संख्याः डीजी–55/2012 दिनॉकः 25.12.2012 एवं परिपत्र संख्याः डीजी–आठ–140(66)2014 दिनॉकः 16.08.2014 द्वारा निर्गत समस्त आदेश अतिक्रमित करते हुये मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में हिस्ट्रीशीट खोले जाने की कार्यवाही को अधिक न्यायसंगत एवं वस्तुपरक बनाये जाने हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं–

(1) 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति की हिस्ट्रीशीट नहीं खोली जायेगी।

(2) हिस्ट्रीशीट खोलने के लिए उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन के पैरा 228 से 240 तक का गहन अध्ययन करके उसी के अनुरूप कार्यवाही की जाये।

(3) हिस्ट्रीशीट खोलने के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं का सम्यक अनुपालन आवश्यक हैः–

(क) हिस्ट्रीशीट ऐसे व्यक्तियों की खोली जाये जिनके बारे में यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार हो कि आदतन अपराधी है या हो सकता है। रूटीन में हिस्ट्रीशीट न खोली जाये।

(ख) हिस्ट्रीशीट ऐसे व्यक्तियों की खोली जाये जिनकी गहन निगरानी (intense surveillance) की आवश्यकता हो।

(ग) जो ऐसे अपराधियों के दुष्प्रेरक हों अथवा उनका ऐसा होना सम्भावित हो।

(घ) निजी रंजिश में दर्ज अभियोगों अथवा अन्य असंगत आधारों पर किसी व्यक्ति की हिस्ट्रीशीट न खोली जाये।

(ड़) गैंग्स्टर अधिनियम/गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत की गयी कार्यवाहियों को हिस्ट्रीशीट खोलने का आधार न बनाया जाये।

(च) चूँकि हिस्ट्रीशीट जनपद के पुलिस अधीक्षक के आदेश से खोली जाती है, अतः वे पूर्णतया आधारों से संतुष्ट होने पर ही हिस्ट्रीशीट खोलने का अनुमोदन करें।

(छ) थाना प्रभारी द्वारा प्रेषित हिस्ट्रीशीट का सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी एवं अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा सघन परीक्षण करने के उपरान्त ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा हिस्ट्रीशीट खोलना अनुमोदित किया जाये।

(1) उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 228 से 276 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत वर्ष से अधिक तथा 21 वर्ष तक के अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलने से पूर्व वरिष्ठ स अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा सूचनार्थ पुलिस महानिरीक्षक, सी.बी.-सी.आई.डी. को

Scanned by CamScanner

इस आशय से प्रेषित की जायेगी कि उन्हें कोई आपत्ति हो तो पत्र प्राप्ति के दिनांक 15 दिवस के अन्दर वह अपनी टिप्पणी सहित सम्बन्धित जिला मुख्यालयों को व भेजेगें।

(2) पुलिस महानिरीक्षक, सी.बी.—सी.आई.डी. द्वारा यदि कोई आपत्ति व्यक्त जाती है, तो जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण का परीक्षण किया जायेगा एवं यदि अब भी हिस्ट्रीशीट खोलने के लिए उपयुक्त पाया जात तो उसकी हिस्ट्रीशीट खोलकर इसकी सूचना पुलिस महानिरीक्षक, सी.बी.—सी.आई.डी. प्रेषित की जायेगी।

(3) यदि पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर पुलिस महानिरीक्षक, सी.बी.—सी.आ डी. द्वारा उक्त प्रकरण में कोई आपत्ति नहीं की जाती है तो यह मान लिया जायेगा उनको वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा संस्तुत की गयी आख्या पर क मतभेद नहीं है।

कृपया हिस्ट्रीशीट खोलने हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाये। यह कार्य अत्य गम्भीरतापूर्वक एवं सभी आयामों पर विचार करके किया जाये।

भवदीय,

(सुलखान सिंह)

3/11/17

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(नाम से)
समस्त पुलिस अधीक्षक, रेलवे (नाम से)
उत्तर प्रदेश ।

3/11/17

प्रतिलिपिः—

1— प्रमुख सचिव(गृह), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

2— पुलिस महानिदेशक, सी.बी.—सी.आई.डी. उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय के साथ कि उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ—

1— अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2— समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3— पुलिस महानिरीक्षक, सी.बी.—सी.आई.डी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
4—समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

Scanned by CamScanner

(29)

ITEM NO.42 COURT NO.4 SECTION II

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Petition(s) for Special Leave to Appeal (Crl.) No(s). 2907/2012

(Arising out of impugned final judgment and order dated 11/02/2010 in WP No. 823 (H/C)/2009 passed by the High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow.)

STATE OF U.P. Petitioner(s)

VERSUS

AMAR NATH SINGH Respondent(s)

(with appln. (s) for c/delay in filing SLP and exemption from filing O.T. and office report)

Date : 01/12/2014 This petition was called on for hearing today.

CORAM :
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHANSU JYOTI MUKHOPADHAYA
HON'BLE MR. JUSTICE N.V. RAMANA

For Petitioner(s) Mr. Gaurav Bhatia, AAG
Ms. Pragati Neekhra,Adv.

For Respondent(s)

UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R

Delay condoned.

The Director General of Police, U.P. has already issued order vide letter dated 16.8.2014 directing opening of History Sheet. In view of the same, no further order is required to be passed in the present case.

Concerned Police officials and others will act in terms of the Rules, Guidelines, Regulations framed by the

Signature Not Verified
Digitally signed by
Rajni Mukhi
Date: 2014.12.03
16:43:14 IST
Reason:

Scanned by CamScanner

State and the direction dated 16.8.2014 given by the Director General of Police, U.P. uninfluenced by any order passed by any other Authority.

The special leave petition stands disposed of.

(Rajni Mukhi)
Sr. P.A.

(Suman Jain)
Court Master

Scanned by CamScanner